समाहर्त्ता न्यायालय, पूर्णिया

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
06.03.2020	**उत्पाद वाद संख्या-95/2018** **राज्य** बनाम **1. कृपानन्द ठाकुर, पिता-स्व० यदुनाथ ठाकुर, सा०-प्रोफेसर कॉलोनी, थाना-के० हाट, जिला-पूर्णिया। (जप्त TATA INDICA CAR NO.-BR11C-6014 के स्वामी)** .... *विपक्षी* **आदेश** अभिलेख उपस्थापित। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 1434/हि०शा० दिनांक-10.04.2018** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक 02.02.2018 को बरसौनी टॉलप्लाजा से लगभग 50 मीटर पश्चिम एन०एच०-31 सड़क के दक्षिणी फलक के पास की गई।** जांच के क्रम में **विपक्षी के जप्त वाहन से IMPERIAL BLUE WHISKY का 24 बोतल (प्रति बोतल 750 मि०ली०) एवं ROYAL STAG WHISKY का 144 बोतल (प्रति बोतल 750 मि०ली०) विदेशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर **डगरूआ थाना काण्ड सं०-19/2018 दिनांक 02.02.2018** दर्ज कराई गई। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है। इस वाद में विपक्षी को थानाध्यक्ष, के० हाट के माध्यम से नोटिस का तामिला कराया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 25.02.2020 को नोटिस प्राप्त करने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा गया। उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। जांच के क्रम में **विपक्षी के जप्त वाहन से IMPERIAL BLUE WHISKY का 24 बोतल (प्रति बोतल 750 मि०ली०) एवं ROYAL STAG WHISKY का**	

144 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0) विदेशी शराब बरामद हुआ है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित कराने हेतु नोटिस का तामिला कराया गया, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। जिससे प्रतीत होता है कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 "विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है। स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त TATA INDICA CAR NO.-BR11C-6014** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई

सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।